UPRB010003052009

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, रायबरेली।
उपस्थितः– गुणेन्द्र प्रकाश (एच०जे०एस०)
दाण्डिक वाद संख्या– 600459/2012

उत्तर प्रदेश राज्य

-----अभियोगी।

बनाम

1. राम प्रकाश पुत्र रामसजीवन यादव, निवासी पूरे छीट मजरे कुवरमऊ पकरी, थाना भदोखर , जिला रायबरेली।
2. राम समुझ पुत्र श्यामलाल यादव, निवासी पूरे मुसहा मजरे सिधौना, थाना मिलएरिया, जिला रायबरेली।
3. जमुना यादव पुत्र रामरतन यादव, निवासी शिवपुरी मजरे डिघिया, थाना मिलएरिया, जिला रायबरेली। **(मृतक दौरान विचारण)**

------ अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या–225/2009
अन्तर्गत धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986
थाना भदोखर, जिला रायबरेली।

वाद का संक्षिप्त विवरणः–

अपराध की तिथि	08.02.2009
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	08.02.2009 समय 22:45 बजे
आरोप पत्र की तिथि एवं प्रसंज्ञान की तिथि	23.07.2009 एवं 11.08.2009

आरोप विरचित किये जाने की तिथि	19.10.2013
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	05.07.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	08.07.2026
निर्णय की तिथि	22.07.2026
सजा/दण्डादेश की तिथि	–––––––––

अभियोजन के साक्षियों की सूचीः–

रैंक	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी०डब्लू० 1	श्रीमती कृष्णावती	जनसाक्षी
पी०डब्लू० 2	मो० सुरखाब खान	विवेचक
पी०डब्लू० 3	श्री मोहन प्रसाद यादव	पुलिस साक्षी
पी०डब्लू० 4	श्री आर०पी० यादव	वादी मुकदमा
पी०डब्लू० 5	श्री श्रवण कुमार यादव	पुलिस साक्षी (जी०डी० का द्वितीयक साक्षी)

अभियोजन प्रपत्रों/प्रदर्शों तथा बचाव पक्ष के दस्तावेजों की सूचीः-

क्रम सं०	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श क–1	आरोप पत्र
2.	प्रदर्श क–2	गैंगचार्ट
3.	प्रदर्श क–3	तहरीर
4.	प्रदर्श क–4	चिक एफ०आई०आर०
5.	प्रदर्श क–5	कायमी जी०डी०
6.	**राज्य के अधिवक्ता का नाम**	**श्री कमल प्रकाश पाण्डेय विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट)।**
7.	**अभियुक्तगण के अधिवक्ता का नाम**	**श्री राजेश प्रताप सिंह एडवोकेट।**

निर्णय

1. अभियुक्तगण राम प्रकाश, राम समुझ व जमुना यादव के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या– 225/2009, अंतर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने एवं आरोप पत्र

पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा संज्ञान लिए जाने के उपरांत अभियुक्तगण उपरोक्त का विचारण प्रारम्भ कर पूर्ण किया गया है।

2. दौरान विचारण अभियुक्त जमुना यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 03.03.2022 को उपशमित की गयी है।

3. संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 08.02.2009 को थानाध्यक्ष आर०पी० यादव मय हमराही कां० 421 मोहन प्रसाद कां० सिकन्दर बक्श मय जीप सरकारी चालक कां० श्रवण कुमार यादव के वास्ते देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी छीट गांव जा रहे थे कि मुंशीगंज तिराहे पर एस०आई० श्री उमानाथ तिवारी प्रभारी चौकी मुंशीगंज मिले जिन्हें हमराह लिया गया क्षेत्र भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि राम प्रकाश पुत्र राम सजीवन यादव, निवासी पूरे छीट मजरे कुवरमऊ पकरी, थाना भदोखर रायबरेली, राम समुझ पुत्र श्यामलाल यादव, निवासी पूरे मुसहा मजरे सिधौना, थाना मिलएरिया, रायबरेली व जमुना यादव पुत्र राम रतन यादव, निवासी शिवपुरी मजरे डिघिया, थाना मिलएरिया रायबरेली का एक सुसंगठित गिरोह है, तीनों अभियुक्तगण नई उम्र के है जिनका गैंगलीडर राम प्रकाश है। जो अपने व अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करते हैं, जनता में इतना भय व्याप्त है कि कोई व्यक्ति इनके विरूद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता है न ही इनके आतंक व भय के कारण थाने में कोई सूचना देने को तैयार नहीं होता है। इन अभियुक्तगणों का गैंगचार्ट जिलाधिकारी महोदय रायबरेली द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इस संगठित गिरोह के कार्यों से जनता में भय व्याप्त है जो पुलिस निगाह बचाकर भारतीय दण्ड विधान के अध्याय 16, 17 व 22 का दण्डनीय अपराध करते हैं तीनों अभियुक्तों द्वारा दिनांक 15.01.2009 को राम सुमेर की नृशंस हत्या करके लाश को नहर में फेक दिया था जिससे क्षेत्र की जनता में और भी आतंक व भय व्याप्त हो गया है वर्तमान समय मु०अं०सं 100/09 धारा 302 भा०दं०वि० में तीनों अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है इन अभियुक्तों का यह कार्य उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2/3 का दण्डनीय अपराध है गैंगचार्ट मूलरूप से संलग्न है अतः इनके विरूद्ध धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जाय।

4. विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के अनुक्रम में तत्कालीन विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, रायबरेली द्वारा दिनांक 19.10.2013 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के

अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगणों ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की माँग किया।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को सिद्ध करने के लिये मौखिक साक्षीगण के रूप में **पी०डब्लू० 1 श्रीमती कृष्णावती, पी०डब्लू० 2 मो० सुरखाब खान, पी०डब्लू० 3 श्री मोहन प्रसाद यादव, पी०डब्लू० 4 श्री आर०पी० यादव व पी०डब्लू० 5 श्री श्रवण कुमार यादव** को परीक्षित कराया गया है।

6. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से आरोप पत्र को **प्रदर्श क–1**, गैंगचार्ट को **प्रदर्श क–2,** तहरीर को **प्रदर्श क–3,** चिक एफ०आई०आर० को **प्रदर्श क–4 व** कायमी जी०डी० को **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया गया है।

7. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक के संबंध में कथन किया गया है कि गलत है, प्रश्न संख्या 02 के उत्तर में कथन किया गया है कि गलत बयान दिया है, प्रश्न संख्या 03 के उत्तर में कथन किया गया है कि गलत बयान दिया है, प्रश्न संख्या 04 के उत्तर में कथन किया गया है कि गलत बयान दिया है, प्रश्न संख्या 05 के उत्तर में कथन किया गया है कि गलत बयान दिया है, प्रश्न संख्या 06 के उत्तर में कथन किया गया है कि गलत बयान दिया है, प्रश्न संख्या 07 सफाई साक्ष्य के उत्तर में कथन किया गया है कि जी हाँ, प्रश्न संख्या 08 प्रतिरक्षा के प्रश्न के उत्तर में कथन किया गया है कि मैं निर्दोष हूं मुझे जबरदस्ती घर से लाकर फर्जी एफ०आई०आर० दर्ज कर मुल्जिम बना दिया है।

8. अभियुक्तगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में किसी को भी परीक्षित नहीं कराया गया है अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 12ख से प्रपत्र 13ख/1 लगायत 13ख/13 से न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–7 रायबरेली द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–245/2009, सी०आई०एस०नं०– 300245/2009 राज्य उत्तर प्रदेश बनाम श्रीमती रामकली आदि, मु०अ०सं० 100/2009, अंतर्गत धारा–302, 201 भा०दं०सं०, थाना भदोखर जिला रायबरेली, सत्र परीक्षण संख्या–247/2009, सी०आई०एस०नं०– 300247/2009 राज्य उत्तर प्रदेश बनाम रामसमुझ, मु०अ०सं० 113/2009, अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना भदोखर, जिला रायबरेली एवं सत्र परीक्षण संख्या–248/2009, सी०आई०एस०नं०– 300248/2009 राज्य उत्तर प्रदेश बनाम रामप्रकाश, मु०अ०सं० 114/2009, अंतर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम, थाना भदोखर, जिला

रायबरेली के मामले में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 30.03.2022 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें अभियुक्तगण श्रीमती रामकली, रामप्रकाश यादव व रामसमुझ यादव को आरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया गया है।

9. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया।

10. प्रस्तुत आपराधिक विचारण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा के विवेचन व विश्लेषण के आधार पर आरोपित आरोप के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाना है कि परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य सामग्री के आधार पर न्याय विचार में क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा साक्ष्यों में ऐसा कोई विरोधाभास व विसंगति है, जिसके आधार पर संपूर्ण घटनाक्रम संदेहास्पद हो जाने के कारण अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है?

11. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है। धारा–2(ख) एवं 2(ग) उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत शब्द **"गिरोह"** एवं शब्द **"गिरोहबन्द"** को परिभाषित किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं–

धारा 2 (ख)– "गिरोह"– का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है, जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अनुचित दुनियावी आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हैं।

धारा 2(ग)–"गिरोहबन्द"–का तात्पर्य किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठन से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जो खण्ड (ख) में प्रगणित किसी गिरोह के क्रियाकलाप के लिये, चाहे ऐसे क्रियाकलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रियाकलाप किये हों, संश्रय देता है;

12. उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध धारा-2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध को साबित करने और इसके अन्तर्गत दण्डित किये जाने हेतु अभियोजन द्वारा निम्न तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक हैः-

1- अभियुक्तगण का किसी ऐसे आपराधिक समूह/गिरोह का सदस्य या सरगना होना।

2- ऐसे गिरोह के सरगना या सदस्य के रूप में ऐसा कार्य करना-

(क) जिससे लोक-व्यवस्था अस्त-व्यस्त होती हो, अथवा

(ख) अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए अनुचित, दुनियावी, आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए,

3- अकेले या सामूहिक रूप से।

4-(क) हिंसा या हिंसा करने की धमकी, या

(ख) प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा धारा 2 के 25 उपखण्डों में उल्लिखित एक या एक से अधिक समाज विरोधी क्रियाकलाप करना, या

(ग) गिरोह का क्रियाकलाप किये जाने से पूर्व या पश्चात ऐसे क्रियाकलाप किये जाने हेतु दुष्प्रेरित करना, सहायता देना या संश्रय देना,

अतः न्यायालय को यहां यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य से उपरोक्त तथ्य युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे सिद्ध होते हैं अथवा नहीं?

13. आपराधिक मामलों में किसी भी आरोपित व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह कानून के अनुसार दोषी साबित नहीं हो जाता। अभियोजन के ऊपर अपने मामले को साबित करने का भार होता है जैसा कि **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हितेन पी० दलाल बनाम ब्रतिन्द्रनाथ बनर्जी, (2001) 6 एस०सी०सी० 16, नरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम म०प्र० राज्य (2004) 10 एस०सी०सी० 699, रंजीत सिंह ब्रम्हजीत सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 5 एस०सी०सी० 294, एम०एस० नारायन मेनन उर्फ मणी बनाम केरल राज्य और अन्य (2006) 6 एस०सी०सी० 39, राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव बनाम सी०बी०आई० द्वारा निदेशक (2007) 1 एस०सी०सी० 70** के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध जितना गम्भीर होता है सबूत उतना ही ठोस होना चाहिए। इस प्रकार किसी गम्भीर अपराध के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराने

के लिए उच्च स्तरीय साक्ष्य का होना आवश्यक है जैसा कि **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1999) 3 एस०सी०सी० 977 तथा जितेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य (2004) 10 एस०सी०सी० 562,** के मामलों में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।

14. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 1 श्रीमती कृष्णावती** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरे पति की हत्या आज से लगभग साढ़े नौ साल पहले हुई थी। इसके दो तीन साल पहले से मेरे पति के नाजायज सम्बन्ध मेरे गाँव की रामकली से चल रहा था। चाहे रात हो चाहे दिन हो रामकली का फोन आते ही वे घर से चले जाते थे। जिस दिन की घटना है, शाम को साढ़े सात बजे रामकली का फोन आया था, तो मेरे पति घर से चले गये थे, हमने सोचा कि हमेशा की तरह आ जायेंगे, लेकिन रात भर नहीं आये। सबेरे तलाश करना शुरू किया तो उनकी लाश भेला नहर में गौरा उबरनी गांव से पश्चिम में दिन में करीब 11 बजे मिली। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि ये हत्या रामकली ने कराई है, लाश को नहर से बाहर निकलवायी। मैंने थाना जाकर रिपोर्ट किया, तो पुलिस मौके पर आयी और लिखा पढ़ी करके लाश को ले गयी। रामकली का सम्बन्ध रामप्रकाश जो गांव के ही है से नाजायज सम्बन्ध था। पुलिस ने रामप्रकाश, रामकली को पकड़ा था और यह भी पता चला था कि जमुना यादव व राम समुझ भी पकड़े गये थे। हत्या वाला मुकदमा चल रहा है। पत्रावली में शामिल फोटोप्रति प्रमाणित चिक सं०- 7/09 के मजनून को सुनकर गवाह ने कहा यही दरखास देकर रिपोर्ट लिखाया था।

15. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 2 मो० सुरखाब खान** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 04.02.2009 को वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर थाना कोतवाली नगर रायबरेली में नियुक्त था। मु०अं०सं०- 225/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना भदोखर रायबरेली की विवेचना श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय के आदेश से मुझे प्राप्त हुई। मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं०- 1 जिसमें नकल तहरीर हिन्दी वादी, नकल रपट, कायमी मुकदमा व गैंगचार्ट राम प्रकाश पुत्र राम सजीवन आदि के बयान लेखक राजमणि त्रिपाठी का अंकित था, जिसे एस०आई० कृष्ण कुमार सिंह द्वारा किता किया गया था। तदोपरान्त विवेचना मुझे प्राप्त हुई। दिनांक 14.02.2009 को मेरे द्वारा पर्चा नं०- II किता किया गया था, जिसमें मेरे द्वारा विवेचना ग्रहण की गयी। दिनांक 16.02.2009 को पर्चा नं०- 3 मेरे द्वारा किता किया गया था जिसमें मेरे द्वारा अभियुक्तगणों को रिमाण्ड देने हेतु

तलब करने की रिपोर्ट गैंगस्टर कोर्ट लखनऊ में दी गयी। दिनांक 17.02.2009 को पर्चा नं०– 4 किता किया जिसमें तीनों अभियुक्तगण राम प्रकाश, राम समुझ व जमुना यादव का भी रिमाण्ड लिया गया। दिनांक 18.02.2009 को पर्चा नं०– 5 किता किया जिसमें तीनों अभियुक्तों का रिमाण्ड दिनांक 24.03.2009 तक स्वीकृत किया गया दिनांक 04.03.2009 को पर्चा नं०– 6 किता किया जिसमें वादी मुकदमा एस०आई० आर०पी० यादव का बयान व हमराही कां० मोहन प्रसाद यादव व सिकन्दर वक्श का बयान अंकित किया। दिनांक 17.03.2009 को पर्चा नं०– 7 किता किया जिसमें गवाह एस०आई० उमानाथ तिवारी व हमराही कां० श्रवण कुमार का बयान अंकित किया। दिनांक 25.03.2009 को फर्द नं०– 8 किता किया था जिसमें अभियुक्तगणों का रिमाण्ड दिनांक 05.05.2009 तक स्वीकृत कराया गया। दिनांक 10.04.2009 को पर्चा नं०– 9 किता किया जिसमें अभियुक्त राम समुझ की चल अचल की सम्पत्ति की जानकारी करने उसके गाँव गया जहाँ उसके कोई चल, अचल सम्पत्ति नहीं है की सूचना ग्राम प्रधान द्वारा दी गयी। दिनांक 25.04.2009 को पर्चा नं०– 10 किता किया गया जिसमें गवाह राजमणि त्रिपाठी का बयान अ०सं०– 100/09 धारा 302 भा०दं०सं० में अंकित किया गया। दिनांक 04.05.2009 को पर्चा नं०– 11 किता किया गया जिसमें अभियुक्तों के रिमाण्ड स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। दिनांक 06.05.2009 को पर्चा– 12 किता किया जिसमें अभियुक्तों का रिमाण्ड 16.09.2009 तक स्वीकृत हुआ। दिनांक 14.05.2009 को पर्चा नं०– 13 किता किया जिसमें एस०ओ० आर०पी० यादव का बयान अ०सं०– 100/09 धारा 302 भा०दं०सं० अंकित किया गया। दिनांक 02.06.09 को पर्चा नं०– 14 किता किया गया जिसमें अभियुक्त जमुना प्रसाद पुत्र राम रतन के चल अचल सम्पत्ति की जानकारी के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान व अन्य ग्राम वासियों से जानकारी की गयी। दिनांक 16.06.2009 पर्चा सं०– 15 किता किया जिसमें अभियुक्तों के रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया। दिनांक 09.07.2009 को पर्चा नं०– 16 किता किया जिसमें अभियुक्त राम प्रकाश की चल–अचल सम्पत्ति की जानकारी की गयी तो पता चला कि उसके पिता के पास लगभग ढाई बीघा खेती है अभियुक्त के नाम कोई चल–अचल सम्पत्ति नहीं है। दिनांक 16.07.2009 को पर्चा नं०– 17 किता किया जिसमें मु०अं०सं०– 100/09 धारा 302 भा०दं०सं० की वादिनी कृष्णा देवी का बयान अंकित किया। दिनांक 23.07.2009 को पर्चा नं०– 18 किता किया जिसमें अभियोजन स्वीकृत का आदेश

एस०पी० रायबरेली से प्राप्त होने पर अभियुक्तगण राम प्रकाश, राम समुझ व जमुना प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 161/09 धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट का अपराध साबित होने पर आरोप पत्र प्रेषित न्यायालय किया गया जो शामिल पत्रावली है जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। आरोप पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है।

16. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 3 श्री मोहन प्रसाद यादव** ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वादी मुकदमा आर०पी० यादव तत्कालीन थानाध्यक्ष भदोखर की तहरीर व एफ०आई०आर० का समर्थन करते हुए बताया कि अभियुक्तगण राम प्रकाश यादव, राम समुझ यादव व जमुना प्रसाद यादव का एक संगठित गिरोह जो अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक लाभ के लिए अपराध करते हैं। इनके द्वारा दिनांक 15.01.2009 में राम सुमेर यादव की नृशंस हत्या करके शव नहर में फेंक दिया गया था। इनके भय व आतंक से कोई जनता का साक्षी साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं होता है। इन अभियुक्तों का जुर्म अंतर्गत धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट मु०अ०सं 225/09 पंजीकृत किया गया जो दण्डनीय अपराध है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

17. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 4 श्री आर०पी० यादव** ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08.02.2009 को मैं थाना भदोखर में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। उस दिन कां० मोहन प्रसाद, कां सिकन्दर वक्श मय सरकारी जीप देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी छीट गांव में जा रहा था। मुंशीगंज तिराहे पर एस०आई० उमानाथ तिवारी को साथ लेकर क्षेत्र भ्रमण कर रहा था कि ज्ञात हुआ कि रामप्रकाश, रामसमुझ व जमुना यादव का एक संगठित गिरोह है जिसका गैंगलीडर रामप्रकाश है। ये लोग आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए जनता में आतंक व भय फैलाकर अपराध करते हैं। इन अभियुक्तगण का गैंगचार्ट अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ था जो शामिल पत्रावली है जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध उसी दिन मेरे द्वारा तहरीर लिखकर प्रधान लेखक को दी गई। तहरीर शामिल पत्रावली है जिस पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। तहरीर के आधार पर कां० क्लर्क राजमणि त्रिपाठी द्वारा कम्प्यूटर पर शब्दशः अंकित की गई थी जो शामिल पत्रावली है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। इस संबंध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

18. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 5 श्री श्रवण कुमार** ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं वर्ष 2007 से 2009 तक थाना भदोखर में आरक्षी के पद पर नियुक्त था। उपरोक्त पत्रावली में कांस्टेबल मोहर्रिर 633 राजमणि त्रिपाठी जो एफ०आई०आर० लेखक थे। इनकी मृत्यु हो चुकी है यह थाना भदोखर मेरे साथ कार्यरत थे। इनको मैंने लिखते पढ़ते देखा है इसलिए मैं इनके लेख व हस्ताक्षर से भली भांति परिचित हूं। इनकी मृत्यु हो जाने के कारण मैं इनकी द्वितीयक साक्ष्य दे रहा हूं। पत्रावली में संलग्न एफ०आई०आर० मु०अ०सं० 225/09 धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना भदोखर, जिला रायबरेली को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही एफ०आई०आर० है जो का० मोहर्रिर राजमणि त्रिपाठी द्वारा कम्प्यूटर से किता की गयी। जिस पर प्रदर्श क–4 पूर्व से पड़ा हुआ है तथा पत्रावली में संलग्न नकल रपट दिनांक 08.02.2009 थाना भदोखर को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही जी०डी० कायमी है जो कां० मोहर्रिर राजमणि त्रिपाठी के लेख व हस्ताक्षर में जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।

19. अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियोजन की ओर से जो गैंगचार्ट तैयार किया गया है वह सरसरी तौर पर तैयार किया गया गैंगचार्ट है, जो त्रुटिपूर्ण व दूषित है। अभियुक्तगण किसी गैंग के सरगना व सदस्य नहीं हैं। अभियुक्तगण के नाम से कोई गैंग रजिस्टर नहीं है, इसलिए अभियुक्तगण का कोई गैंग नहीं है, उन्हें गलत ढंग से गैंग का सरगना व सदस्य बताते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है, जो पूर्णतया दूषित है। अभियोजन साक्षियों ने अपने बयानों में अभियुक्तगण का गैंग होने व उनके गैंगस्टर होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तगण के गैंगस्टर होने व उनका गैंग होने के अपने अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

20. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि गैंगचार्ट नियमानुसार तैयार किया गया है। अभियुक्तगण ने गैंग बनाकर अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया है, जिससे लोक व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है। अभियुक्तगण का आम जनता में भय व आतंक व्याप्त है जिस कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध आम जनता का कोई भी व्यक्ति अभियोग पंजीकृत नहीं कराता है और न ही गवाही देता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अभियोजन ने अपने साक्ष्यों

से अभियोजन कथानक को पूर्णतया साबित किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुये कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये तथा अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जाये।

21. उभय पक्षों के तर्कों को सुना तथा तर्कों के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध यह अभियोग है कि अभियुक्तगण ने गैंग बनाकर अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया है। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट तैयार करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पत्रावली में गैंगचार्ट **प्रदर्श क–2** के रूप में संलग्न है, गैंगचार्ट पर थानाध्यक्ष भदोखर, जनपद रायबरेली द्वारा दिनांक 22.01.2009 को हस्ताक्षर किया गया है, क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद रायबरेली द्वारा दिनांक 23.01.2009 को हस्ताक्षर किया गया है, अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा दिनांक 27.01.2009 को हस्ताक्षर किया गया है, पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा दिनांक 28.01.2009 को हस्ताक्षर किया गया है, उपजिला मजिस्ट्रेट सदर, जिला रायबरेली द्वारा दिनांक 25.01.2009 को हस्ताक्षर किया गया है तथा जिला मजिस्ट्रेट रायबरेली द्वारा अनुमोदित लिखे होने के नीचे अलग पेन से हस्ताक्षर तो किया गया है परन्तु उसके नीचे पूर्ण रूप से तिथि अंकित नहीं की गयी है और ना ही कोई टिप्पणी अंकित की गयी है। गैंगचार्ट में अभियुक्त राम प्रकाश को गैंग लीडर बताया गया है। प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 08.02.2009 को पंजीकृत की गयी है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्लू० 01** जो इस मामले की जनसाक्षी है उसने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने पति राम सुमेर यादव का गांव की रामकली से नाजायज संबंध होने तथा अपने पति राम सुमेर यादव की हत्या होने के सम्बन्ध में रामकली के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने का कथन किया है। इस **साक्षी द्वारा अपनी जिरह में** कथन किया गया है कि घटना का सन् नहीं याद है तारीख 15 जनवरी थी। जिस नम्बर पर रामकली का फोन आता था। उसका नम्बर मैं नहीं बता सकती। मैं अपने पति का फोन नम्बर भी नहीं बता सकती। मैं रामकली के फोन का नम्बर भी नहीं बता सकती। जो मैंने थाने में एफ०आई०आर० लिखाई थी, उसमें केवल रामकली का नाम लिखाया था अन्य अभियुक्त राम प्रकाश का नाम नहीं लिखाया था। मैंने दरोगा जी को राम प्रकाश के विषय में कुछ नहीं बताया था। मेरे पति राम सुमेर की हत्या हो गई है। उनकी हत्या के पहले से मैं जमुना व राम समुझ अभियुक्तगण को नहीं जानती पहचानती थी। जब से पुलिस ने

राम समुझ व जमुना को फंसाया तब से उन्हें जानती हूं। कत्ल में जमुना व राम समुझ थे या नहीं मैं नहीं जानती हूँ। पुलिस मेरे घर गवाही का सम्मन लेकर गयी थी। मैं बयान देने आई हूँ कि मुल्जिमान को मैं नहीं जानती हूँ और न मुल्जिमान ने मुझे कभी डराया व धमकाया। सम्मन गया है इसलिए गवाही देने आई हूं। इसके पहले मैं अपने पति के कत्ल के केस में गवाही दे चुकी हूँ। **साक्षी पी०डब्लू० 02** जो इस मामले का विवेचक है उसने अपनी मुख्य परीक्षा में मु०अ०सं 225/2009 की विवेचना करने तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने का कथन किया है। इस **साक्षी द्वारा अपनी जिरह में** कथन किया गया है कि अभियुक्त राम प्रकाश के विरूद्ध मु०अ०सं 100/09 धारा 302 भा०दं०सं० थाना भदोखर का केवल एक मुकदमा है। इसके अतिरिक्त राम प्रकाश व अन्य के ऊपर गैंगचार्ट में कोई अन्य मुकदमा नहीं है। मु०अ०सं 100/09 में अभियुक्त राम प्रकाश नामजद अभियुक्त नहीं है। उसका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। मैंने दौरान विवेचना अपराध से सम्बन्धित चल अचल सम्पत्ति की जानकारी की तो कोई जानकारी नहीं हुई। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा थानाध्यक्ष आर०पी० यादव ने दर्ज कराया था। इन अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगचार्ट में एक मुकदमा के अतिरिक्त अन्य मुकदमा नहीं दिखाया गया है। जो मुकदमा दिखाया गया है उसमें ये मुल्जिम नामजद मुल्जिम नहीं है बल्कि प्रकाश में आये मुल्जिमान थे। जिस मुकदमें में मुल्जिमान प्रकाश में आये उसके विवेचक आर०पी० यादव ही थे। इस गैंगस्टर के मुकदमें में वादिनी कृष्णा देवी को छोड़कर सभी गवाह पुलिस के हैं, कोई अन्य स्वतंत्र गवाह नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी किसके द्वारा की गयी थी। **साक्षी पी०डब्लू० 03** जो इस मामले का हमराही पुलिस साक्षी है उसने अपनी मुख्य परीक्षा में वादी मुकदमा की तहरीर व एफ०आई०आर० का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के सम्बन्ध में कथन किया है। इस **साक्षी द्वारा अपनी जिरह में** कथन किया गया है कि अभियुक्तगण राम प्रकाश, राम समुझ व जमुना के विरूद्ध कितने मुकदमें थे मुझे याद नहीं है। मैं हल्का नम्बर एक में तैनात था। अभियुक्त राम प्रकाश हल्का नं०- 4 का है। अभियुक्त राम प्रकाश थाना मिलएरिया का रहने वाला है। अभियुक्तगण राम प्रकाश व राम समुझ के विरूद्ध कितने प्रार्थना पत्र थाने पर आये मुझे याद नहीं है। शामिल पत्रावली गैंगचार्ट में अभियुक्त राम प्रकाश व राम समुझ के विरूद्ध केवल एक मुकदमा है। अभियुक्तगण राम प्रकाश व राम समुझ से वादी मुकदमा आर०पी० यादव द्वारा कुछ बरामद किया गया था या नहीं मैं नहीं

बता सकता। अभियुक्तगण उपरोक्त ने किस मुकदमें में अपराध करके भौतिक व आर्थिक लाभ प्राप्त किया मैं नहीं बता सकता, याद नहीं है। अभियुक्तगण उपरोक्त ने आर्थिक लाभ कमाकर कौन–कौन सी सम्पत्ति बनाई है मैं नहीं बता सकता। राम प्रकाश का घर मैंने देखा है। राम प्रकाश के घर में अपराध करके भौतिक लाभ कमाकर अर्जित सम्पत्ति के बारे में मैं नहीं बता सकता। भौतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने का कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है या नहीं मैं नहीं बता सकता। **साक्षी पी०डब्लू० 04** जो इस मामले का वादी मुकदमा है उसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट अनुमोदित होकर प्राप्त होने पर तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराने का कथन किया है। इस **साक्षी द्वारा अपनी जिरह में** कथन किया गया है कि इस समय मुझे ध्यान नहीं है कि अ०सं०– 100/09 अंतर्गत धारा 302 भा०दं०सं० में राम प्रकाश, राम समुझ व जमुना नामजद अभियुक्त थे या नहीं। अ०सं०– 100/09 की विवेचना मेरे द्वारा की गयी थी। साक्ष्यों के आधार पर मैंने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। यह मुझे जानकारी नहीं है कि उक्त मुकदमे के अलावा अभियुक्तगण के विरूद्ध कितने मुकदमें पंजीकृत हैं। यह बात सही है कि गैंगचार्ट में अभियुक्तों के विरूद्ध अ०सं०– 100/09 ही दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त और कोई मुकदमा नहीं दर्शाया गया। गैंग के रूप में संगठित होकर अपराध किये जाने का उल्लेख मेरे द्वारा किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि इनके भय व आतंक की वजह से कोई व्यक्ति गवाही हेतु तैयार नहीं होते। इस समय मुझे यह ध्यान नहीं है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त वाद के अलावा, थाना भदोखर मेरी तैनाती के दौरान कोई अभियोग पंजीकृत हुआ था या नहीं। मेरे द्वारा किसी भी साक्षी को विवेचक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। **साक्षी पी०डब्लू० 05** जो इस मामले का पुलिस साक्षी (जी०डी० का द्वितीयक साक्षी) है उसने अपनी मुख्य परीक्षा में एफ०आई०आर० लेखक के लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए कायमी जी०डी० को साबित किया है। इस **साक्षी ने अपनी जिरह में** पत्रावली में मूल जी०डी० देखकर बताया कि राजमणि त्रिपाठी द्वारा बनायी गयी है उनके लेख व हस्ताक्षर से भली भांति परिचित हूँ। मैंने इनके साथ कुछ एक वर्ष से कम काम किया है। मैं थाने में थाने की गाड़ी कभी–कभी चलाता था। मैंने इनको लिखते पढ़ते देखा है।

इस मामले के गैंगचार्ट में आधार मामले के रूप से एक अभियोग मु०अ०सं० 100/09 अंतर्गत धारा 302 भा०दं०सं० मुख्य अभियोग के रूप में दर्शित किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से सूची 12ख से प्रपत्र 13ख/1 लगायत 13ख/13 से न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–7 रायबरेली द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–245/2009,

सी०आई०एस०नं०– 300245/2009 राज्य उत्तर प्रदेश बनाम श्रीमती रामकली आदि, मु०अ०सं० 100/2009, अंतर्गत धारा–302, 201 भा०दं०सं०, थाना भदोखर जिला रायबरेली, सत्र परीक्षण संख्या–247/2009, सी०आई०एस०नं०– 300247/2009 राज्य उत्तर प्रदेश बनाम रामसमुझ, मु०अ०सं० 113/2009, अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना भदोखर, जिला रायबरेली एवं सत्र परीक्षण संख्या–248/2009, सी०आई०एस०नं०– 300248/2009 राज्य उत्तर प्रदेश बनाम रामप्रकाश, मु०अ०सं० 114/2009, अंतर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम, थाना भदोखर, जिला रायबरेली के मामले में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 30.03.2022 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें अभियुक्तगण श्रीमती रामकली, रामप्रकाश यादव व रामसमुझ यादव को आरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगणों में से किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण के गैंगस्टर होने व उनका गैंग होने तथा उनके द्वारा गैंग बनाकर अपराध करके समाज में भय व आतंक व्याप्त करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध तैयार किए गए गैंगचार्ट पर किसी भी पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा न तो अग्रसारित लिखा गया है और न ही कोई अन्य टिप्पणी अंकित की गयी है। यहाँ तक कि जिलाधिकारी रायबरेली द्वारा गैंगचार्ट पर अनुमोदित लिखे होने के नीचे अलग पेन से हस्ताक्षर तो बनाये गये हैं, परन्तु पूर्ण तिथि अंकित नहीं की गयी है और न ही कोई अन्य विवरण या टिप्पणी अंकित की गयी है। इस प्रकार उक्त तथ्यों व साक्ष्यों से यह साबित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध तैयार किया गया गैंगचार्ट दूषित है एवं इस दूषित गैंगचार्ट के आधार पर पंजीकृत की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट व प्रेषित किया गया आरोप पत्र भी दूषित है।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा गैंग बनाकर अपराध करने तथा उनके किसी गैंग का सरगना व सदस्य होने के संबंध में अपने बयानों में कोई कथन नहीं किया है। गैंगचार्ट पर गैंगचार्ट तैयारकर्ता से लेकर पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तक सभी अधिकारियों व कर्मचारियों में से किसी के भी द्वारा कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गयी है कि उनके द्वारा क्यों और किन साक्ष्यों के आधार पर गैंगचार्ट को अग्रसारित व अनुमोदित किया जा रहा है, जो यह दर्शित करता है कि गैंगचार्ट तैयार करने से लेकर उसके अनुमोदित होने तक किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए सोच–विचार कर गैंगचार्ट को अग्रसारित व अनुमोदित नहीं

किया गया है, बल्कि एक यांत्रिक प्रक्रिया के तहत यंत्रवत रूप से गैंगचार्ट पर हस्ताक्षर बनाए गए हैं। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि गैंगचार्ट तैयार करने व उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करने और विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के संबंध में की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही सरसरी तौर पर विधिक उपबंधों के विपरीत की गयी कार्यवाही है। गैंगचार्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रपत्र को बहुत ही लापरवाही के साथ बिना किसी जांच पड़ताल के सरसरी तौर पर तैयार करना, यह साबित करता है कि इस मुकदमे की नींव अत्यंत कमजोर है, जिस पर अभियोजन न तो टिक पा रहा है और न ही खड़ा हो पा रहा है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में तैयार किया गया गैंगचार्ट नियमों के विरूद्ध तैयार किया गया गैंगचार्ट है, जो त्रुटिपूर्ण व दूषित है। जिस कारण इस त्रुटिपूर्ण व दूषित गैंगचार्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध की गयी समस्त कार्यवाही विधिपूर्ण कार्यवाही नहीं है। इसी प्रकार से अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के बयानों से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण का कोई गैंग है और वे गिरोहबन्द व्यक्ति हैं। अभियोजन साक्षियों के उपरोक्त बयानों से यह भी साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण का कोई रजिस्टर्ड गैंग है और वे उस गैंग के माध्यम से अपराध करते हैं और अपराध के माध्यम से धन संपत्ति अर्जित करते हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित नहीं कर सका है कि अभियुक्तगण का कोई गैंग है और वे किसी गैंग के सरगना व सदस्य हैं अथवा वे किसी अन्य गैंग के सरगना व सदस्य हैं। परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपने अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित नहीं कर सका है।

22. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियोजन ने अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित नहीं किया है कि अभियुक्तगण ने अपराध के माध्यम से कौन–कौन सी चल व अचल संपत्ति तथा कितना धन अर्जित किया है, जिस कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन अपने मामले को साबित नहीं कर सका है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

23. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण का गैंग है। अभियुक्तगण द्वारा गैंग बनाकर अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिससे लोक व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है तथा अभियुक्तगण का समाज में भय व आतंक व्याप्त हुआ है। अभियुक्तगण के पास चल व अचल

सम्पत्ति तथा धन आदि न मिलना अभियोजन कथानक को दूषित नहीं करता है, क्योंकि अधिकांश मामलों में अपराधीगण दुनियावी लाभ व लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने के लिए भी अपराध करते हैं। अभियोजन ने अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन कथानक को पूर्णतया साबित किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

24. उभय पक्षों के उपरोक्त तर्कों को सुना तथा उक्त तर्कों के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध यह अभियोग है कि अभियुक्तगण ने गैंग बनाकर अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया है। जिसके आधार पर उनके विरूद्ध उक्त से संबंधित अभियोग पंजीकृत है और इस आधार पर उनके विरूद्ध उ०प्र० गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भी अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–1 श्रीमती कृष्णावती जो इस मामले की जनसाक्षी है, साक्षी पी०डब्लू०–2 मो० सुरखाब खान जो इस मामले का विवेचक है, साक्षी पी०डब्लू०–3 श्री मोहन प्रसाद यादव जो इस मामले का पुलिस साक्षी है, साक्षी पी०डब्लू०–4 श्री आर०पी० यादव जो इस मामले का वादी मुकदमा है और साक्षी पी०डब्लू०–5 श्री श्रवण कुमार यादव जो इस मामले का पुलिस साक्षी (जी०डी का द्वितीयक साक्षी) है, इन सभी साक्षियों ने अपनी–अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में अभियुक्तगण के द्वारा अपराध करके आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ अर्जित करने, चल–अचल संपत्ति व धन अर्जित करने तथा अपराध करके लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। अभियुक्तगण आधार मामले में दोषमुक्त हो चुके हैं। जिस कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध करके आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ अर्जित करने तथा अपराध के माध्यम से चल, अचल सम्पत्ति व धन अर्जित करने तथा अपराध करके लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का अभियोजन कथानक युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित नहीं होता है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा चल, अचल सम्पत्ति एवं धन अर्जित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है तथा अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने इस संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा अपने गैंग के माध्यम से अपराध करके कौन–कौन से दुनियाबी लाभ अर्जित किए गए हैं, अभियोजन साक्षियों ने इस संबंध में भी कोई कथन नहीं

किया है कि अभियुक्तगण ने कौन–कौन से अपराध करके लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त किया है। जिससे यह साबित होता है कि अभियुक्तगण ने अपराध के माध्यम से कोई चल, अचल सम्पत्ति तथा धन आदि अर्जित नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त साक्षियों के बयानों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने अपराध के माध्यम से कोई धन, चल व अचल सम्पत्ति अर्जित नहीं किया एवं लोक व्यवस्था को भी अस्त–व्यस्त नहीं किया है। अतः अभियोजन पक्ष अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तगण के द्वारा अपराध करके चल, अचल सम्पत्ति व धन अर्जित करने तथा अपराध करके लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने के अपने अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित नहीं कर सका है।

25. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **अशोक कुमार दीक्षित बनाम उ०प्र० राज्य ए०आई०आर० 1987 पृष्ठ 235** के मामले में यह अभिमत दिया गया है कि उ०प्र० गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को तभी दण्डित किया जा सकेगा, जबकि उसने किसी आपराधिक या समाज विरोधी क्रियाकलाप में सक्रिय गिरोह से अपना संबंध स्थापित कर लिया हो और जिसका संबंध ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करते हैं या उनके द्वारा अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिये अनुचित, दुनियाबी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई अपराध किया गया हो। यद्यपि कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित रहकर अपराध कारित करना आवश्यक न होगा, ऐसे व्यक्ति की अपराध करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर अपराध करने में सक्रिय भूमिका आवश्यक नहीं होगी, उसकी सानिध्यता ही पर्याप्त होगी। उक्त आशय का ही अभिमत **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा राम रहीश आदि बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य 2011 (73) ए०सी०सी० पृष्ठ 599 तथा अजय राय बनाम उ०प्र० राज्य 1995 (32) ए०सी०सी० पृष्ठ 447** के मामलों में भी दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा वर्नीत कुमार बनाम उ०प्र० राज्य 2009 (1) इलाहाबाद क्रि० लॉ० जनरल 377 के मामले में यह अवधारित किया गया है कि अधिनियम ऐसे क्रियाकलापों का निवारण तथा उसे दंडित करना चाहता है,जिसके परिणामस्वरूप गिरोहबंद को या किसी व्यक्ति को असम्यक, दुनियाबी आर्थिक, सारवान या

अन्य लाभ हुये हों, ऐसे क्रियाकलापों में चाहे हिंसा के प्रयोग किये गये हों या न किये गये हों।

26. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय ने यह निष्कर्षित किया है कि गैंगचार्ट पर गैंगचार्ट तैयारकर्ता से लेकर पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तक सभी अधिकारियों व कर्मचारियों में से किसी के भी द्वारा कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गयी है कि उनके द्वारा क्यों और किन साक्ष्यों के आधार पर गैंगचार्ट को अग्रसारित व अनुमोदित किया जा रहा है, जो यह दर्शित करता है कि गैंगचार्ट तैयार करने से लेकर उसके अनुमोदित होने तक किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए सोच–विचार कर गैंगचार्ट को अग्रसारित व अनुमोदित नहीं किया गया है, बल्कि एक यांत्रिक प्रक्रिया के तहत यंत्रवत रूप से गैंगचार्ट पर हस्ताक्षर बनाए गए हैं। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि, गैंगचार्ट तैयार करने व उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करने और विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के संबंध में की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही सरसरी तौर पर विधिक उपबंधों के विपरीत की गयी कार्यवाही है। गैंगचार्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रपत्र को बहुत ही लापरवाही के साथ बिना किसी जांच पड़ताल के सरसरी तौर पर तैयार करना, यह साबित करता है कि, इस मुकदमे की नींव अत्यंत कमजोर है, जिस पर अभियोजन न तो टिक पा रहा है और न ही खड़ा हो पा रहा है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में तैयार किया गया गैंगचार्ट नियमों के विरूद्ध तैयार किया गया गैंगचार्ट है जो त्रुटिपूर्ण और दूषित है। जिस कारण उक्त त्रुटिपूर्ण व दूषित गैंगचार्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध की गयी समस्त कार्यवाही विधिपूर्ण कार्यवाही नहीं है। न्यायालय ने यह भी निष्कर्षित किया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगणों में से किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्तगण का गैंग होने, उनके द्वारा गैंग बनाकर अपराध करने एवं उनके गैंगस्टर होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है और न ही अभियुक्तगण का समाज में भय व आतंक होने के संबंध में ही कोई कथन किया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य भी दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण का कोई रजिस्टर्ड गैंग है अथवा उनका अन्य कोई गैंग है और वे उस गैंग के सरगना व सदस्य हैं तथा ऐसे सरगना व सदस्य होते हुए अभियुक्तगण ने गैंग बनाकर गंभीर व जघन्य अपराध किये हैं। इसी प्रकार से न्यायालय ने यह भी निष्कर्षित किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों

के माध्यम से अभियुक्तगण के द्वारा अपराध करके चल, अचल सम्पत्ति व धन अर्जित करने तथा अभियुक्तगण के द्वारा अपराध करके लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने के अपने अभियोजन कथानक को भी युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है। परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपने अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे साबित नहीं कर सका है।

27. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तगण राम प्रकाश पुत्र रामसजीवन यादव व राम समुझ पुत्र श्यामलाल यादव के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। जिस कारण अभियुक्तगण राम प्रकाश व राम समुझ उपरोक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप अंतर्गत धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 साबित नहीं होता है। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण **राम प्रकाश व राम समुझ** दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **राम प्रकाश पुत्र रामसजीवन यादव,** निवासी पूरे छीट मजरे कुवरमऊ पकरी, थाना भदोखर, जिला रायबरेली व **राम समुझ पुत्र श्यामलाल यादव,** निवासी पूरे मुसहा मजरे सिधौना, थाना मिलएरिया, जिला रायबरेली को विशेष सत्र परीक्षण (जी०एस०टी०)/आपराधिक वाद संख्या– 600459/2012, उ०प्र० राज्य बनाम राम प्रकाश आदि, मु०अ०सं०– 225/2009, थाना भदोखर, जिला रायबरेली के मामले में आरोपित आरोप अंतर्गत धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण **राम प्रकाश व राम समुझ** जमानत पर हैं, उनके समस्त जमानतनामें व व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को उनके जमानत के उत्तरदायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण **राम प्रकाश व राम समुझ** की ओर से दं०प्र०सं० की धारा 437ए के अनुपालन में इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तावित किसी अपील में अपीलीय न्यायालय अथवा

उच्चतर न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के आशय से पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो–दो जमानतें व समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र पूर्व में दाखिल किये जा चुके हैं, जो इस निर्णय के दिनांक से आगामी छः माह के लिये प्रभावी रहेंगे और इस निर्णय के विरूद्ध संस्थित होने वाली किसी भी अपील में इन जमानतदारों का यह दायित्व होगा कि, जब भी अपीलीय न्यायालय अभियुक्तगण को तलब करेगी तो वे अभियुक्तगण को अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपने स्वयं के खर्चे पर उपस्थित करना सुनिश्चित करेंगे।

निर्णय की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली को प्रेषित की जाये।

दिनांक–22.07.2026

(गुणेन्द्र प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, रायबरेली।
(JO CODE–UP6443)

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–22.07.2026

(गुणेन्द्र प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, रायबरेली।
(JO CODE–UP6443)

रिजवान अली
(आशुलिपिक)

Digitally signed by Gunandra Prakash
Date: 2026.08.06 16:31:28 IST
Reason: Judgement
Location: District and Sessions Court, Raebareli